अ0शा0 परिपत्र सं: डीजी-07/2015


अरुण कुमार गुप्ता
आई0पी0एस0


पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।
दिनाँक: जनवरी 22, 2015

प्रिय साथियों,

**विषय- खोई वस्तुओं की रिपोर्ट पुलिस द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से दर्ज किए जाने की व्यवस्था।**

किसी व्यक्ति की किसी खोई हुई वस्तु या अभिलेख की पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाया जाना बहुधा अपरिहार्य होता है, क्योंकि उस खोई हुई वस्तु या अभिलेख को पुन: निर्गत करने के लिए अधिकांश प्राधिकृत अधिकारी सम्बन्धित वस्तु के खोए जाने के साक्ष्य के रूप में पुलिस में पंजीकृत रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण पर बल देते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को घटना से सम्बन्धित पुलिस थाने में व्यक्तिगत रूप से जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी होती है।

2- वस्तुओं या अभिलेखों का खोना सामान्यत: कोई आपराधिक घटना नहीं होती। अत: ऐसी परिस्थितियों में पुलिस के द्वारा इन वस्तुओं के खोने की घटना की कोई जांच या विवेचना अपेक्षित नहीं होती है।

3- सभी नागरिकों को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट और अधिक सुविधाजनक रूप से दर्ज कराने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित व्यवस्थायें की जाती हैं:-

i. एक ऐसी इलेक्ट्रानिक व्यवस्था (Software Application) का विनिर्माण कराया जाय जिससे सभी नागरिक किसी भी मोबाईल फोन के माध्यम से अथवा इन्टरनेट से जुड़े किसी कम्प्यूटर के माध्यम से अपनी खोई वस्तुओं की सूचना दे सकें। इस प्रकार इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्त होने वाली सभी सूचनाओं को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा लुप्त आख्या (Lost Article Report) के रूप में दर्ज किया जाय। प्रत्येक आख्या को एक विशिष्ट संख्या प्रदान की जाय। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी को यह क्रम संख्या 1 से शुरू की जाय।

ii. इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्त इस रिपोर्ट को दर्ज कर इसकी प्रति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के प्रभारी निरीक्षक के अंकीय हस्ताक्षर (Digital signature) से आवेदक को प्रेषित किया जाय।

iii. इस प्रकार नागरिकों से प्राप्त होने वाली सभी सूचनाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का होगा। वे इस प्रकार प्राप्त होने वाली सूचनाओं का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करायेंगे।

iv. इस प्रकार पंजीकृत सभी सूचनाओं को विभिन्न लोक अधिकारियों (Public Authorities) द्वारा उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट के माध्यम से सत्यापन किए जाने का प्रावधान रखा जाय।

v. प्रणाली में सभी जनपदों के अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित घटनाओं की जानकारी देने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें की जायेगी। सभी जनपदीय अधिकारी इन सूचनाओं को प्राप्त कर किसी आपराधिक घटना की सम्भाव्यता के लिए अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

vi. इस प्रणाली का पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें द्वारा राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में किया जायेगा। यह भी आवश्यक होगा कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रणाली में और अधिक सुविधायें जोड़ते हुए उसे क्रमश: अधिकाधिक उपयोगी बनाया जाय।

vii. इस व्यवस्था के विकास एवं स्थापना का उत्तरदायित्व अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाओं का होगा। उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से संचालित एवं अद्यावधिक किया जाय।

4- पुलिस मुख्यालय द्वारा इस हेतु आवश्यक बजट एवं संसाधनों की व्यवस्था की जायेगी।

5- सभी जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र तथा पुलिस महानिरीक्षक जोन अपने क्षेत्रों में जनसामान्य तक पुलिस विभाग द्वारा प्रदान की जा रही इस सेवा के प्रचार-प्रसार हेतु प्रभावी व्यवस्थायें करेंगे। उनके द्वारा जनसामान्य को इस प्रणाली को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

शुभ कामनाओं सहित,

भवदीय

(अरूण कुमार गुप्ता)

**1- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक**
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

**2- समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र**
उत्तर प्रदेश।

---

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2- अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0।
4- पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0प्र0।